प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊः दिनांक-14 अक्टूबर, 2022**

विषयः-विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयों में सोलर प्लांट अधिष्ठापन का कार्य अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-जी0ओ0-139/कार्य0अनु0/वि0नि0/2022, दिनांक-10.10.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से कराये जा सकने वाले कार्यों की दृष्टांत सूची (परिशिष्ट-1) के बिन्दु संख्या-19 की व्यवस्था "सामुदायिक उपयोग एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिये गैर परम्परागत ऊर्जा प्रणाली/साधन उपयोग का निर्माण" के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-93/अड़तीस-9-2021-315(एल0सी0)/2021, दिनांक-23.06.2022 के प्रस्तर-3 में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की गयी है:-

"उक्त व्यवस्था से स्पष्ट है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, परिषदीय विद्यालयों, राजकीय तथा मान्यता एवं अनुदान प्राप्त हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों में सोलर प्लांट अधिष्ठापन कार्य अनुमन्य है।"

2- प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक-23.06.2022 के प्रस्तर-3 के उपर्युक्त अंश को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

"उक्त व्यवस्था से स्पष्ट है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, परिषदीय विद्यालयों, राजकीय तथा मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों में सोलर प्लांट अधिष्ठापन कार्य अनुमन्य है।"

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

3- शासनादेश संख्या-93/अड़तीस-9-2021-315(एल0सी0)/2021, दिनांक-23.06.2022 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश के शेष प्रस्तर यथावत रहेंगे।

भवदीय,

राजीव कुमार वत्स
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-12/2022/169/38-9-22/315(एल0सी0)/2021टी0सी0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजीव कुमार वत्स
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।